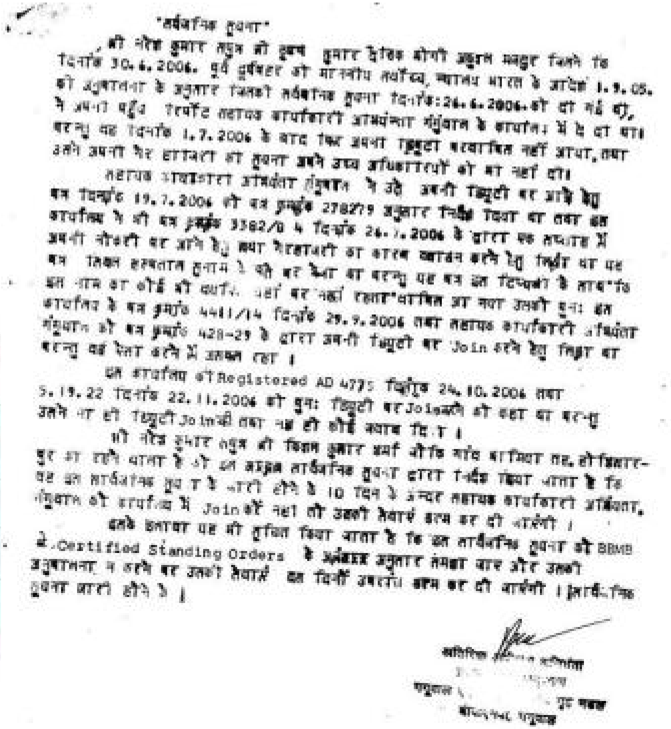

"सार्वजनिक सूचना"

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री सुभाष कुमार ट्रैफिक बोगी अकुशल मजदूर जिनके कि दिनांक 30.6.2006. पूर्व [illegible] को माननीय सर्वोच्च, न्यायालय भारत के आदेश 1.9.05. की अनुपालना के अनुसार जिनको सार्वजनिक सूचना दिनांक:26.6.2006.को दी गई थी, ने अपनी ड्यूटी ट्रैफिक सहायक कार्यकारी अभियन्ता गंगुवाल के कार्यालय में दे दी थी। परन्तु वह दिनांक 1.7.2006 के बाद फिर अपनी ड्यूटी पर वापिस नहीं आया, तथा उसने अपनी गैर हाजरी की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी।

सहायक कार्यकारी अभियंता गंगुवाल ने उसे अपनी ड्यूटी पर आने हेतु पत्र दिनांक 19.7.2006 को पत्र क्रमांक 2782-79 अनुसार निर्देश दिया था तथा इस कार्यालय ने भी पत्र क्रमांक 3362/G दिनांक 26.7.2006 के द्वारा एक सप्ताह में अपनी नौकरी पर आने हेतु तथा गैरहाजरी का कारण स्पष्ट करने हेतु निर्देश था यह पत्र निकट हस्पताल सुनाम के पते पर भेजा था परन्तु यह पत्र इस टिप्पणी के साथ कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता वापिस आ गया उसको पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4411/14 दिनांक 29.9.2006 तथा सहायक कार्यकारी अभियंता गंगुवाल को पत्र क्रमांक 428-29 के द्वारा अपनी ड्यूटी पर Join करने हेतु लिखा था परन्तु वह ऐसा करने में असफल रहा।

इस कार्यालय की Registered AD 4775 दिनांक 24.10.2006 तथा 5.19.22 दिनांक 22.11.2006 को पुनः ड्यूटी पर Join करने को कहा था परन्तु उसने न ही ड्यूटी Join की तथा न ही कोई जवाब दिया।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री सुभाष कुमार शर्मा जो कि गांव [illegible] तह. होशियारपुर का रहने वाला है को इस पत्रक सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्देश किया जाता है कि वह इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 10 दिन के अन्दर सहायक कार्यकारी अभियंता, गंगुवाल के कार्यालय में Join करें नहीं तो उसकी सेवाएं खत्म कर दी जाएंगी।

इसके इलावा यह भी सूचित किया जाता है कि इस सार्वजनिक सूचना को BBMB के Certified Standing Orders के अंतर्गत अनुसार समझा जाए और उसकी अनुपालना न करने पर उसकी सेवाएं इस तिथि उपरान्त खत्म कर दी जाएंगी। सार्वजनिक सूचना जारी होने के।

अतिरिक्त [illegible] अभियन्ता
[illegible]
गंगुवाल [illegible] गृह मण्डल
कोटला, गंगुवाल